

13-2-23.

पत्रावली देखा हुआ कोई ठपस्थित नहीं है। राज लोक सूचना अधिकारी एवं आवाज अधिकारी, चाकर की रिप्ली में भी कांक सूअ/23/31 दिनांक 8-2-2023 प्राप्त शामिल मिल रहा है। राज लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपनी रिप्ली में जाहिर किया गया है कि वंछित अभिलेख सरकार में की नकल-बाही जा रही है, पत्रावली में कोलेक्ट प्रती है, जिसकी निपटारुसा नकल नहीं दी जा सकती है। राज लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपनी रिप्ली में यह जाहिर नहीं किया गया है कि किस नियम के तहत नकल नहीं दी जा सकती है। अथवा वंछित नकल सूचना के अधिकाधिकार विभाग के अन्तर्गत नहीं गई है और उस अधिनियम के तहत पत्रावली में सूचना जिस रूप में है उस लिखित में दिए जाने का प्रयास है अतः राज लोक सूचना अधिकारी एवं आवाज अधिकारी चाकर को अदेश दिए जाते हैं कि वंछित नकल सूचना के अधिकाधिकार विभाग के अन्तर्गत निपटारुसा प्रकृति पर कमीलानु-प्राप्ति के 7 दिवस में निशुल्क दी जावे।

निर्णय हेतु इजलास बुलाया गया।
 कलक्टर (द्वितीय)

उप राउ अधिकारी
 चाकर की
 पत्रावली
 31
 08/02/2023

विधिपति
 ने जी
 319-20
 16-02-2023